अध्याय 5

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम

वार्षिक रिपोर्ट 2019-20

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम

कोल इंडिया लिमिटेड

कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) निजी कोयला खानों को सरकार के स्वामित्व में लेते हुए एक संगठित राज्य स्वामित्व वाले कोयला खनन कार्पोरेट के रूप में नवम्बर, 1975 में अस्तित्व में आया। हालांकि अपने शुरूआती वर्ष में इसने 79 मिलियन टन का कम उत्पादन दर्ज किया परन्तु आज विश्व में एक सबसे बड़ा कोयला उत्पादक बन गया है।

सीआईएल, खान से बाजार तक सर्वोत्तम पद्धतियों के जरिए, पर्यावरण की दृष्टि से और सामाजिक तौर पर सतत वृद्धि प्राप्त करते हुए प्रमुख ऊर्जा क्षेत्र में एक वैश्विक कंपनी के रूप में उभरने के लिए एक समग्र योजना के दायरे के भीतर कार्य करता है। कोल इंडिया लि. के प्रमुख अध्यक्ष–सह प्रबंध निदेशक हैं। उनकी सहायता के लिए चार कार्यकारी निदेशक अर्थात निदेशक (तकनीकी), निदेशक (कार्मिक तथा औद्योगिक संबंध), निदेशक (वित्त) और निदेशक (विपणन) हैं। सीआईएल की प्रत्येक सहायक कंपनियों के अपने निदेशक मंडल हैं जिनके प्रमुख अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक हैं। इसके अलावाए सातों उत्पादन कंपनियों में 4–4 कार्यकारी निदेशक अर्थात् निदेशक (कार्मिक), निदेशक (वित्त), निदेशक (तकनीकी/आयोजना एवं परियोजना) और निदेशक (तकनीकी/प्रचालन) हैं। एक अन्य सहायक कंपनी सेंट्रल माईन प्लानिंग एंड डिजायन इंस्टीट्यूट लि. (सीएमपीडीआईएल) है जिसके निदेशक मंडल में चार कार्यकारी निदेशक अर्थात् निदेशक (तकनीकी) इंजीनियरिंग सेवा, निदेशक (कोयला संसाधन और विकास), निदेशक (आयोजना एवं डिजाइन) और निदेशक (अनुसंधान, विकास एवं प्रौद्योगिकी) हैं। इसके अतिरिक्त, सीआईएल तथा इसकी सहायक कंपनियों के निदेशक बोर्ड में कुछ अंश–कालिक अथवा मनोनीत निदेशकों की नियुक्ति कंपनी के संगम अनुच्छेद तथा सरकार द्वारा इस संबंध में समय–समय पर निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार की जाती है।

वर्ष 2018–19 के दौरान सीआईएल और इसकी सहायक कंपनियों ने 606.89 मि.ट. कोयले का उत्पादन किया और 608.14 मि.ट. का ऑफटेक प्राप्त किया जो पिछले वर्ष की तुलना में 6.97% और 4.8% की वृद्धि है और 140603 करोड़ रू. की सकल बिक्री की। सीआईएल और इसकी सहायक कंपनियों ने रॉयल्टी, उपकर, बिक्री कर और अन्य उप–शुल्कों के लिए 44826.43 करोड़ रू. का भुगतान/समायोजन किया। सीआईएल ने 13.10 रू. प्रति शेयर की दर से 8105.58 करोड़ रू. लाभांश भुगतान किया, उपर्युक्त में से भारत सरकार का शेयर 5839.33 करोड़ रू. था।

सीआईएल की रणनीतिक प्रासंगिकता

- भारत के समग्र कोयला उत्पादन का लगभग 83% उत्पादन करता है
- भारत में सीईए द्वारा निगरानी रखे जा रहे कोयला आधारित 134 में से 125 थर्मल विद्युत संयंत्रों की पूर्ति करता है।
- उपयोगिता क्षेत्र (सीईए) के कुल 76% थर्मल पावर उत्पादन क्षमता के लिए जिम्मेदार है।
- अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में की गई कमी के आधार पर कोयले की आपूर्ति करता है।
- भारतीय कोयला उपभोक्ताओं को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मूल्य के उतार–चढ़ाव को झेल पाने लायक बनाता है।
- अन्त्य उपयोगकर्त्ता उद्योग को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाता है।

2018–19 में उपलब्धियां

- सीआईएल ने उत्पादन और उठान में वृद्धि दर को कायम रखते हुए पहली बार वित्तीय वर्ष 2019 की समाप्ति में कोयले के उत्पादन और उठान के 600 मि.ट. मार्क को पार किया है जो क्रमशः 7% और 4.8% की वृद्धि है।
- हाल ही के वर्षों में विश्व के सबसे बड़े कोयला उत्पादक की यह उत्साहवर्धक उत्पादन गति इस तथ्य का साक्ष्य थी कि मात्र **तीन वर्ष** की अवधि में यह 500 मि.ट. से 600 मि.ट. के उत्पादन तक बढ़ गई जबकि 400 मि.ट. से 500 मि.ट. तक के उत्पादन तक पहुंचने में कंपनी को **सात वर्ष** लग गए।
- वित्तीय वर्ष 2019 के लिए ईसीएलए सीसीएलए एमसीएल और डब्ल्यूसीएल ने अपने–अपने उत्पादन लक्ष्य को पार कर लिया है। एनसीएल ने एसईसीएल और एमसीएल के बाद सीआईएल की 100 मि.ट. उत्पादन करने वाली तृतीय सहायक कंपनी बनने की प्रक्रिया में 100 मि.ट. उत्पादन करने वाली कंपनी के अपने उत्पादन लक्ष्य को वित्तीय वर्ष समाप्त होने से 5 दिन पूर्व प्राप्त कर लिया। एक अन्य नई उच्च कंपनी एसईसीएल, 150 मि.ट. उत्पादन को क्रूज ओवर करने वाली पहली नई सहायक कंपनी बन गई। ईसीएल और डब्ल्यूसीएल पहली बार 50 मि.ट. से अधिक उत्पादन करने वाली कंपनियां बनी।

- देश के थर्मल पावर संयंत्रों को कोयले की आपूर्ति में एक नई ऊँचाई प्राप्त करते हुए, वित्तीय वर्ष 2019 के अंत में, सीआईएल के स्रोतों ने पिछले वर्ष में 454 मि.ट. की तुलना में 488 मि.ट. कोयले की आपूर्ति की, जो पिछले वर्ष की तुलना में मात्रा में वृद्धि के रुप में 34 मि.ट. और वर्ष–दर–वर्ष 7.4% की वृद्धि है।
- कोयले की आवश्यकता के कारण वित्तीय वर्ष 2019 के अंत में कोई भी विद्युत स्टेशन सीईए की क्रिटिकल अथवा सुपरक्रिटिकल सूची में नहीं है।
- वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान **विद्युत क्षेत्र को रेक लदान** में 11.2% की वृद्धि हुई। सीआईएल द्वारा पिछले वित्तीय वर्ष में 229.8 रेक /दिन के मुकाबले वित्तीय वर्ष 2019 को समाप्त होने वाली अवधि में विद्युत स्टेशनों को औसतन 255.6 रेक/दिन लदान किए गए जो स्पष्ट रुप से 25.8 रेक/दिन की वृद्धि है।
- वित्तीय वर्ष 2019 के दौरान, रेलवे, एमओसी और एमओपी के बीच तालमेल के परिणामस्वरुप **रैक लदान में 5.6% की समग्र वृद्धि** हुई क्योंकि सीआईएल ने पिछले वित्तीय वर्ष में 265.8 रैक की तुलना में इस वित्तीय वर्ष के दौरान औसतन 280.7 रैक/दिन का लदान किया। ये वृद्धि पूर्णतः 14.9 प्रति दिन है।
- वित्तीय वर्ष 2018–19 के अंत में सीआईएल के पिटहेड्स में लगभग 54 मि.ट. का पर्याप्त कोयला भंडार है। विद्युत स्टेशनों और पिटहेड्स, दोनों को मिलाकर 84.41 मि.ट. का सम्मिलित भंडार देश में विद्युत की मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त है।
- 44.37 कि.मी. की टोरी–शिवपुर सिंगल लाइन सितम्बर, 2018 में पूरी हो गई है और यह प्रचालनाधीन है।
- 52.41 कि.मी. का झारसुगुड़ा–बारपल्ली–सरडेगा रेल लिंक अप्रैल, 2018 में प्रारंभ कर दिया गया है।
- खरसिया से कोरी छप्पर तक 44 कि.मी. की पहली सीईआरएल फेज–I ट्रैक लिंकिंग पूरी हो गई है।

2019–20 में उपलब्धियां (दिसम्बर, 19 तक)

- सीईआरएल, एसईसीएल का एक रेल संयुक्त उद्यम, के माध्यम से निष्पादित खरसिया से कोरीचापर (0–44 कि.मी.) नई रेल लाइन का प्रारंभण।
- बीसीसीएल के महेशपुर सिलो का निर्माण कार्य 2019–20 के दौरान पूरा किया गया।
- एमसीएल बसुंधरा वॉशरी के लिए ईसी दिनांक 04.11.2019 को प्राप्त किया गया है।
- दिसम्बर, 2019 की स्थिति के अनुसार विद्युत संयंत्रों के पास लगभग 32 मि.ट. कोयला भंडार (18 दिन) है जबकि पिछले वर्ष की इसी अवधि में यह लगभग 17 मि.ट. (10 दिन) था।
- एचईएमएम के उपकरण और अतिरिक्त पुर्जों के लिए 6700 करोड़ रु. राशि के ऑर्डर वर्ष 2019–20 में दिए गए।

क. सीआईएल में परिवर्तनकारी मानव संसाधन पहलः

सीआईएल और इसकी सहायक कंपनियों ने अन्यों के साथ–साथ निम्नलिखित मानव संसाधन परिवर्तनकारी पहल की हैः

1. **प्रतिभा प्रबंधनः**

   कार्यपालकों की प्रतिभा की पहचान करने और उसे निखारने के लिए सीआईएल में प्रतिभा प्रबंधन नीति तैयार की गई है ताकि निरंतर रुप से उच्चतर भूमिका और जिम्मेदारी संभालने के लिए उनका विकास किया जा सके। योजना यह है कि संगठन में सहज ट्रांजिशन के लिए एक नेतृत्व तैयार किया जा सके।

2. **सीआईएल अस्पतालों में डीएनबी पाठ्यक्रमः**

   एनबीई अपने मान्यता प्राप्त शिक्षण अस्पतालों में ''डिप्लॉमेट ऑफ नेशनल बोर्ड'' के नाम से परास्नातक और पोस्ट डॉक्टरल कार्यक्रम आयोजित करती है। नीति आयोग के तत्वावधान में सीआईएल ने तीन वर्षीय ब्रॉड स्पेशलिटी डीएनबी पाठ्यक्रम आयोजित करने के लिए सीआईएल के अस्पतालों में उपलब्ध संसाधनों का लाभ उठाते हुए एनबीई रूट के माध्यम से चिकित्सा कार्यपालकों की कमी पर काबू पाने की संभावनाओं को तलाशा है।

3. **मानव संसाधन (एचआर) ऑडिटः**

   सीआईएल और इसकी सहायक कंपनियों ने चालू मानव संसाधन नीतियों, पद्धतियों, प्रलेखन और एचआर कार्यों के सुधार एवं वृद्धि के साथ–साथ अनुपालन की आवश्यकताओं की पहचान करने की प्रणालियों की समीक्षा करने के लिए एक व्यापक पद्धति के रूप में आंतरिक संसाधनों की सहायता से पूरे सीआईएल में एचआर ऑडिट किया है।

   एचआर ऑडिट की सिफारिशें कार्यान्वनाधीन हैं।

4. **जन क्षमता परिपक्वता मॉडल (पी–सीएमएम)**

   सीआईएल और इसकी सहायक कंपनियों ने एचआर ऑडिट की भांति किसी संगठन की मानव शक्ति के प्रबंधन और विकास में निरंतर सुधार पर फोकस करते हुए एक परिपक्वता रुपरेखा के रुप में आंतरिक संसाधनों की मदद

से पी–सीएमएम के अधीन संगठन के स्तर का आकलन किया है। यह संगठन के महत्वपूर्ण मुद्दों का समाधान करने के लिए विभिन्न मानव संसाधन पद्धतियों के कार्यान्वयन के लिए एक रुपरेखा प्रदान करता है।

पी–सीएमएम के अधीन, सीआईएल और इसकी सहायक कंपनियों के अंतराल क्षेत्रों का पता लगाया गया है और संगठन के परिपक्वता स्तर को उन्नत करने के लिए कार्रवाई की जा रही है।

1. **सीआईएल के लोगों का कार्य निष्पादनः** कर्मचारी भारत में कोयला खनन के केंद्रीय विषय हैं और सीआईएल में लोगों की प्रक्रियाओं में न केवल कंपनी के प्रचालनों की मूल्य श्रृंखला में कई हितधारक शामिल हैं, बल्कि ऐसे प्रचालनों से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होने वाले लोग भी शामिल हैं। कई हितधारकों में कंपनी के स्वयं के कर्मचारी और उनके परिवार, लगभग 72,271 ठेकेदार के श्रमिक, कोयला क्षेत्रों के आसपास के ग्रामीण, सहायक उद्योग, कोलफील्ड्स आदि में प्रचालनरत सरकारी और गैर सरकारी एजेंसियां शामिल हैं। कोल इंडिया लि. एक बड़े सामाजिक उद्देश्य के साथ, सभी हितधारकों के लिए पूर्ण रुप से प्रतिबद्ध है और उपयुक्त विकास के लिए अपने लोगों, नीतियों और कार्यक्रमों पर केंद्रित होते हुए कंपनी के हितधारकों की बदलती हुई जरूरतों के साथ सामंजस्य हेतु निरंतर प्रयासरत है। ब्यौरा नीचे दिया गया हैः–

जनशक्ति

01.12.2019 की स्थिति के अनुसार सीआईएल तथा उसकी सहायक कंपनियों की कुल जनशक्ति 2,77,357 हैं। जनशक्ति की कंपनी–वार स्थिति निम्नानुसार हैः

क्र. सं.	कंपनी	01.12.2018 की स्थिति के अनुसार जनशक्ति	01.12.2018 की स्थिति के अनुसार जनशक्ति
1	ईसीएल	60486	58172
2	बीसीसीएल	47069	44522
3	सीसीएल	39776	38757
4	डब्ल्यूसीएल	43461	40815
5	एसईसीएल	56129	52795
6	एमसीएल	22274	22043
7	एनसीएल	14722	14627
8	एनईसी	1421	1282
9	सीएमपीडीआई	3327	3205
10	डीसीसी	310	262
11	सीआईएल (मुख्यालय)	929	877
योग		**289904**	**277357**

कर्मचारी कल्याण

अपने कर्मचारियों और उनके परिवारों के कल्याण के लिए कोल इंडिया लिमिटेड के कल्याण कार्यकलाप नीचे दिए गए हैः

क) आवासीय सुविधाएं

- सीआईएल फर्नीचर तथा घरेलू सामान क्रय योजना के तहत अग्रिम धनराशि को नियमों के अंतर्गत लाते हुए गृह निर्माण अग्रिम धनराशि की मौजूदा अधिकतम सीमा को 2.5 लाख रु. से संशोधित करके 30 लाख रु. करना।
- सीआईएल फर्नीचर तथा घरेलू सामान क्रय योजना तैयार की गई है और दिनांक 08.05.2018 के सीआईएल का.ज्ञा.सं. सीआईएल/सी5ए(पीसी)/फर्नीचर/2827 के माध्यम से सूचित की गई है।

ख) जल आपूर्ति

- कर्मचारियों और उनके परिवारों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के लिए कई जल–आपूर्ति योजनाएं शुरु की गई हैं। उपयुक्त शोधन के पश्चात जल की आपूर्ति की जाती है और कई आरओ प्लांट्स भी मौजूद हैं।

ग) शैक्षिक सुविधाएं

- सीआईएल और इसकी सहायक कंपनियां कर्मचारियों के बच्चों को बेहतर शिक्षा प्रदान करने हेतु खनन क्षेत्रों में स्कूल चलाने वालों जैसे कि डीएवी, केंद्रीय विद्यालय, दिल्ली पब्लिक स्कूल तथा राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे शैक्षिक संस्थानों को वित्तीय सहायता अवसंरचना सुविधाएं प्रदान करती हैं। कर्मचारियों को उनके बच्चों को शिक्षित करने में मदद करने हेतु निम्नलिखित योजनाएं भी चलायी जा रही हैं :–

i. कोल इंडिया छात्रवृति योजनाः

- कतिपय निबंधनों एवं शर्तों के तहत कर्मचारियों के बच्चों के लिए प्रत्येक वर्ष दो प्रकार की छात्रवृति अर्थात् योग्यता एवं सामान्य छात्रवृति प्रदान की जा रही है।

ii. नकद पुरस्कार और प्रशस्ति प्रमाण पत्र.

- प्रत्येक वर्ष सीआईएल कर्मचारियों के उन प्रतिभाशाली बच्चों को 5000 रु. और 7000 रु. के नकद पुरस्कार दिए जाते हैं जो 10वीं और 12वीं

स्तर की बोर्ड स्तरीय परीक्षा में 90% अथवा इससे अधिक कुल अंक प्राप्त करते हैं।

- देश में तकनीकी एवं चिकित्सा शिक्षा की उच्च लागत को देखते हुए सीआईएल वेज बोर्ड कर्मचारियों के उन आश्रित बच्चों, जो इंजीनियरिंग कॉलेजों जैसे कि आईआईटी, एनआईटी, आईएसएम और सरकारी इंजीनियरिंग और चिकित्सा कॉलेज में प्रवेश लेते हैं, को शिक्षा की लागत को पूरा करने के लिए ट्यूशन फीस और हॉस्टेल प्रभार की मात्रा तक वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

घ) चिकित्सा सुविधाएं

- कोल इंडिया लिमिटेड और इसकी सहायक कंपनियां कोलफील्ड्स के विभिन्न भागों में औषधालयों स्तर से केंद्रीय एवं शीर्ष अस्पतालों के माध्यम से कर्मचारियों को चिकित्सा सुविधाएं प्रदान कर रही हैं। विशेष उपचार जिनके लिए विशेषज्ञता/सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, के लिए उन्हें बाहर उपचार हेतु सूचीबद्ध अस्पतालों में भी रैफर किया जाता है।
- इसके अलावा, कर्मचारियों एवं उनके परिवारों के लिए व्यावसायिक स्वास्थ्य, एचआईवी (एड्स) जागरुकता कार्यक्रम पर विशेष बल दिया गया है।
- दिनांक 08.05.2018 के सीआईएल के का.ज्ञा. सं. सीआईएल / सी5ए(पीसी) / एमएआर / 2829 के माध्यम से सीआईएल मेडिकल अटेंडेंस रुल्स (एमएआर) में सुधार करके लंबे समय से चल रही पुरानी एमएआर दरों को सीजीएचएस दरों के अनुरुप किया गया था।
- संविदा कामगारों को कंपनी के अस्पतालों और औषधालयों में बाह्यरोगी/अंतरंग रोगी के रुप में निशुल्क चिकित्सा देखभाल की सुविधा प्रदान की जाती है।
- **सांविधिक कल्याण सुविधाएं** कोल इंडिया लिमिटेड की सहायक कंपनियां खान अधिनियम, 1952 के उपबंधों एवं इनके तहत बनाए गए नियमों एवं विनियमों के अनुसार कोयला खानों के लिए विभिन्न सांवंधिक कल्याण सुविधाएं जैसे कि कैंटीन, रेस्ट शेल्टर्स आदि चला रही हैं। ये सुविधाएं संविदा कामगारों को भी दी जा रही हैं।

च) गैर–सांविधिक कल्याण उपाय

i) सहकारी भंडार और ऋण समितियां

कोलियरीज में आवश्यक वस्तुएं और उपभोक्ता सामान की सस्ती दर पर आपूर्ति करने की दृष्टि से सीआईएल के कोलफील्ड क्षेत्रों में केंद्रीय सहकारी और प्रारंभिक सहकारी भंडार कार्यरत हैं। इसके अलावा, कोयला कंपनियों में सहकारी ऋण समितियां भी कार्यरत हैं।

ii) बैंकिंग सुविधाएं

कोयला कंपनियों के प्रबंधन अपने कामगारों के लाभार्थ कोलफील्ड्स में अपनी शाखाएं और एक्सटेंशन काउंटर खोलने के लिए विभिन्न राष्ट्रीयकृत बैंकों को अवसंरचना सुविधाएं प्रदान कर रहे हैं। कामगारों को इन बैंको से अपना वेतन निकालने के लिए शिक्षित किया गया है।

iii) **अवकाश–गृह**

कोल इंडिया लिमिटेड के पास अपने कर्मचारियों और उनके परिवारों के लाभार्थ 6 अवकाशगृह हैं।

कर्मचारी प्रशिक्षण

वर्ष 2019 में 01.01.2019 से 31.12.2019 तक के लिए सीआईएल के कर्मचारियों की प्रशिक्षण सांख्यिकी निम्नानुसार है:

	2018	2019
कार्यपालक	17701	17799
गैर. कार्यपालक	91555	77111
योग	**109256**	**94910**

उन संविदा कामगारों जिन्हें प्रशिक्षण दिया गया है, का ब्यौरा निम्नानुसार है:

	2018	2019
कुल संविदा कामगार	67330	72271
प्रशिक्षित किए गए कुल संविदा कामगार	39729	35309

प्रबंधन में कर्मचारियों की भागीदारी

सामान्य तौर पर कर्मचारियों से संबंधित निर्णय कर्मचारियों और प्रबंधन का प्रतिनिधित्व करने वाले द्विपक्षीय मंचों के माध्यम से लिये जाते हैं। सभी परियोजनाओं में जेसीसी, सुरक्षा समिति, आवास समिति, कल्याण समिति, कैंटीन समिति आदि जैसे द्विपक्षीय मंच कार्य कर रहे हैं। इसी प्रकार, औद्योगिक संबंध प्रणाली के तहत

कर्मचारियों की सेवा शर्तों, कल्याण और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों का समाधान करने के लिए यूनिट स्तर, क्षेत्र स्तर और कार्पोरेट स्तर पर आवधिक रूप से द्विपक्षीय बैठकें की जाती हैं। प्रत्येक सहायक कंपनी के पास एक शीर्ष द्विपक्षीय समिति (संयुक्त परामर्शदात्री समिति) है और कंपनी के अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक इसके अध्यक्ष होते हैं। संयुक्त परामर्शदात्री समिति सामरिक महत्व के विभिन्न मुद्दों और सामान्यतः कर्मचारियों के जीवन की गुणवत्ता से संबंधित मुद्दों पर विचार–विमर्श करती है। इन सभी द्विपक्षीय निकायों का प्रतिनिधित्व कर्मचारी के प्रतिनिधियों द्वारा किया जाता है।

संविदा कामगार

कंपनी निकटवर्ती ग्रामवासियों के लिए रोजगार का स्रोत है। दिनांक 01.12.2019 की स्थिति के अनुसार विभिन्न आउटसोर्स कार्यों के लिए पंजीकृत ठेकेदारों के माध्यम से खानों में लगभग 72,271 संविदा कामगारों को नियोजित किया गया है। कंपनी ठेकेदार द्वारा संविदा कामगारों के वेतन और कल्याण से जुड़े सभी विधिक एवं कंपनी मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करती है। खनन गतिविधियों में नियोजित संविदा कामगारों के लिए न्यूनतम मजदूरी निर्धारित की गई है जो उपयुक्त सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी से अधिक है। संविदा कामगारों को खान क्षेत्र में कार्य करने के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण भी प्राप्त करना होता है।

उपरोक्त के अलावा, कंपनी संविदा कामगारों को 'कंपनी की सुविधा' पर निःशुल्क चिकित्सा उपचार सुविधा प्रदान करती है। सभी संविदा कामगारों की चिकित्सा जांच की जाती है, उन्हें सुरक्षा प्रशिक्षण दिया जाता है और निजी बचाव संबंधी उपकरण जैसे कि हेलमेट, माइनिंग शूज, डस्ट मास्क, सेफ्टी लैंप्स और अत्याधिक पानी वाली खानों में गमबूट्स और उचित हुड्स सहित रेनकोट्स दिए जाते हैं। नियमित कर्मचारियों को प्रदान की जा रही कैंटीन, रेस्ट शेलटर्स, प्राथमिक चिकित्सा सुविधाओं आदि का संविदा कामगारों द्वारा भी उपयोग किया जाता है। कंपनी ने सभी संविदा कामगारों को सामाजिक सुरक्षा योजनाओं (सीएमपीएफ और सीएमपीएस/ईपीएफ) के तहत सफलतापूर्वक शामिल किया है। संविदा कामगारों को मजदूरी का भुगतान बैंक के माध्यम से सुनिश्चित किया जाता है ताकि इस विषय में किसी प्रकार के शोषण से बचाया जा सके।

संविदा श्रमिक (विनियमन एवं संशोधन) अधिनिमय, 1971 के अंतर्गत संविदा कामगारों के मजदूरी भुगतान एवं अन्य लाभों के अनुपालन की निगरानी करने हेतु कोल इंडिया लि. ने हाल ही में 'संविदा श्रमिक भुगतान प्रबंधन पोर्टल' (सीएलआईपी) का सृजन किया है। सीआईएल तथा इसकी सहायक कंपनियों में विभिन्न ठेकेदारों द्वारा नियुक्त सभी कामगारों का व्यापक डाटाबेस, "बैंक खाता संख्या एवं आधार संख्या" सहित तैयार किया है तथा पोर्टल पर अपलोड किया है। यह पोर्टल सभी संविदा कामगारों के लिए उपलब्ध है ताकि वे अपने व्यक्तिगत ब्यौरों सहित मजदूरी दर एवं भुगतान की स्थिति को देख सकें।

इसके अलावा, श्रम और रोजगार मंत्रालय ने 7 दिसंबरए 2015 की अपनी राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से सीआईएल की सहायक कंपनियों को श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा प्रकाशित भारत के राजपत्र, भाग –2 खंड –3 उप–खण्ड (ii) में प्रकाशित दिनांक 21.06.1988 की एसओ 2063 के तहत क्रम सं. 1 से 3 पर निर्दिष्ट (निषिद्ध) कार्यो पर संविदा श्रमिकों को नियोजित करने के लिए छूट दी।

बाल श्रम/बलात मजदूरी/ बंधुआ मजदूरः

कंपनी के प्रचालनों की मूल श्रृंखला में स्वयं कंपनी द्वारा अथवा इसके स्टेक–धारकों द्वारा किसी भी रूप में बाल श्रम, बलात मजदूरों अथवा बंधुआ मजदूरों को नियुक्त करना वर्जित है। खानों में लगाए जाने वाले संविदा कामगारों की अनिवार्य रूप से आरंभिक चिकित्सा जांच के दौरान इसकी मॉनीटरिंग की जाती है।

संघ की स्वतंत्रताः

कंपनी के मानव संसाधन प्रबंधन में प्रजातांत्रिक मूल्यों का पक्के तौर पर पालन किया जाता है। कर्मचारियों को छूट है कि वे पंजीकृत ट्रेड यूनियन और अन्य सरकारी/गैर–सरकारी संगठनों के सदस्य बन सकते हैं। कोलफील्डों में सभी केंद्रीय ट्रेड यूनियनों और स्थानीय यूनियनों की शाखाएं हैं। औद्योगिक संबंध प्रणाली के मानकों के अंतर्गत कंपनी के द्विपक्षीय निकायों में उनके प्रतिनिधित्व की अनुमति है।

भेदभाव न करनाः

कंपनी, कर्मचारी प्रबंधन में भेदभाव न करने के सिद्धांतों का अनुसरण करती है। धर्म, जाति, क्षेत्र, मत, लिंग, भाषा आदि के नाम पर कर्मचारियों में कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। सभी कर्मचारियों को सेवा मामलों में समान अवसर दिए जाते हैं। रोजगार में समान अवसर प्रदान करने और सभी कर्मचारियों के लिए एक ऐसा समावेशी कार्य–स्थल एवं कार्य–संस्कृति सृजित करने जिसमें शारीरिक रुप से अक्षम व्यक्तियों के लिए सम्मान और प्रतिष्ठा हो, हेतु सीआईएल में एक समान अवसर नीति तैयार और कार्यान्वित की गई है।

निरंतर सुधार और ज्ञान प्रबंधन की पहल

केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों के कॉन्क्लेव के परिणामस्वरूप, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के सभी उद्यमों के लिए एक सामान्य ज्ञान प्रबंधन पोर्टल विकसित किया गया है। इस पोर्टल का प्राथमिक

उद्देश्य व्यक्तियों, टीमों और पूरे सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को सामूहिक रूप से और व्यवस्थित रूप से दूसरों के अनुभवों से सीखने और अधिक से अधिक ऊंचाइयों को प्राप्त करने के लिए ज्ञान, इन्फ्रास्ट्रक्चर, सर्वोत्तम प्रथाओं और एसओपी आदि को साझा करने के लिए एक मंच बनाना है।

सीआईएल अपनी सहायक कंपनियों के साथ इस पोर्टल में एक सक्रिय भागीदार है और समय–समय पर सर्वोत्तम पद्धतियों, नीतियों/नियमों, विशेषज्ञता आदि को अद्यतन करती है।

संगठनात्मक संस्कृति निर्माण पहल

संगठन में कार्यपालक संवर्ग में शामिल होने वाले सभी नए लोगों का प्रोजेक्ट "आगमन" के तहत स्वागत किया जाता रहा है। सहायक कंपनियों में पोस्टिंग से पूर्व उन्हें भारतीय कोयला प्रबंधन संस्थान (आईआईसीएम) – सीआईएल के उत्कृष्टता केंद्र, रांची में 14 दिन के अभिविन्यास कार्यक्रम में भेजा जाता है।

सभी सेवा निवृत्त होने वाले कर्मचारियों को विदाई दी जाती है और उनके सेवानिवृति बकाए का भुगतान प्रोजेक्ट "सम्मान" के तहत किया जाता है। अध्यक्ष, सीआईएल और सहायक कंपनियों के अध्यक्ष एव प्रबंध निदेशक संगठन की सफलता के लिए कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों द्वारा दिए गए योगदान के प्रति आभार व्यक्त करते हैं।

जन विकास पहल और सामाजिक सुरक्षा उपाय

i. उपदान– सेवानिवृत्ति पर कर्मचारी 20 लाख रुपए तक का उपदान प्राप्त करते हैं।

ii. सीएमपीएफ– सभी कर्मचारियों को कोयला खान भविष्य निधि के अंतर्गत शामिल किया जाता है जो अंशदायी निधि है जिसमें कर्मचारी और कंपनी द्वारा बराबर–बराबर अंशदान किया जाता है।

iii. कोयला खान पेंशन स्कीम (सीएमपीएस) – सभी कर्मचारियों को पेंशन योजना के तहत शामिल किया जाता है जिसके अंतर्गत उन्हें सेवानिवृत्ति के उपरांत मूल वेतन की 25% राशि मासिक पेंशन के रूप में मिलती है। कर्मचारी की मृत्यु हो जाने की स्थिति में उनके आश्रित पेंशन प्राप्त करने के हकदार होते हैं।

iv. सेवा निवृत्ति के पश्चात चिकित्सा सहायता – सीआईएल ने कर्मचारियों और उनके पति/पत्नी को स्वास्थ्य सहायता प्रदान करने के लिए अपने 2.86 लाख कर्मचारियों के लिए सेवा निवृत्ति के बाद चिकित्सा योजना शुरु की है। कुछ शर्तों के अधीन यह योजना गैर–कार्यपालकों तथा कार्यपालकों को साधारण मामलों मे इनडोर तथा आउटडोर इलाज के लिए क्रमशः 8 लाख रुपए और 25 लाख रु. के चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति करती है और हृदय रोग, कैंसर, गुर्दे की बीमारी तथा मस्तिष्क संबंधी विकार, एचआईवी–एड्स व सांघातिक रक्ताल्पता/ अधिवृक्क हिस्टोप्लास्मोसिस जैसी गंभीर बिमारियों और गंभीर दुर्घटनाओं तथा मस्तिष्क ज्वर के मामलों में वास्तविक के आधार पर सहायता दी जाती है। सीआईएल का उद्देश्य अधिप्रमाणन के प्रयोजनार्थ और आधार ब्यौरों से जोड़ते हुए बायोमैट्रिक डाटा के साथ स्मार्ट काड्र्स के माध्यम से कैश–लेस उपचार शुरु करना भी है।

v. अधिवार्षिता पेंशन योजना – सीआईएल ने सभी बोर्ड स्तर और बोर्ड स्तर से नीचे के कार्यकारी अधिकारियों को सेवानिवृत्ति के बाद वार्षिक रूप में अधिवार्षिता लाभ देने के लिए एक अधिवार्षिता पेंशन योजना तैयार की है। इसे 01.01.2007 से पूर्वव्यापी प्रभाव से कार्यान्वित किया गया है।

vi. कर्मचारी मुआवजा – ड्यूटी के दौरान मृत्यु/विकलांगता की स्थिति में कर्मचारी मुआवजा अधिनियम के तहत मौद्रिक क्षतिपूर्ति प्राप्त करने के हकदार हैं। इसके अलावा, कम्पनी घातक खान दुर्घटना के मामले में 90,000 रुपए उपदान के रुप में और 15 लाख रुपए मुआवजे के रूप में अतिरिक्त प्रदान करती है।

vii. जीवन बीमा योजना – सेवा के दौरान किसी कर्मचारी की मृत्यु हो जाने की स्थिति में कर्मचारी के आश्रित जीवन बीमा योजना के तहत 1,25,000 रु. की राशि प्राप्त करने के हकदार होते हैं।

viii. आश्रित सदस्य को रोजगार – सेवा के दौरान किसी कर्मचारी की मृत्यु होने/विकलांग होने की स्थिति में उसके आश्रितों में से कोई एक सदस्य कम्पनी में नौकरी पाने का हकदार है।

शिकायत प्रबंधन

कम्पनी में स्टेकधारकों अर्थात कर्मचारियों, उपभोक्ताओं तथा अन्यों की शिकायतों के निपटान के लिए एक मजबूत आन लाइन स्टेकधारक शिकायत प्रबंधन प्रणाली मौजूद है। इस नीति के अंतर्गत सभी शिकायतों को 10 दिनों के भीतर निपटाया जाता है तथा स्टेकधारकों को तदुनसार सूचित किया जाता है। 31 दिसम्बर, 2019 की स्थिति के अनुसार सीआईएल के सेबी स्कोर्स और पी. जी.पोर्टल में कोई शिकायत लम्बित नहीं है।

पर्यावरण की देखभाल

कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल), पर्यावरण तथा सामाजिक मुद्दों

पर इन खनन कार्यकलापों से होने वाले प्रभावों का निरंतर निदान करती हैं। सभी खनन क्षेत्रों में पर्यावरण अनुकूल खनन प्रणालियों को कार्यान्वित किया गया है। सीआईएल की खानों में अधिक संख्या में सतही खनिकों और कंटीन्यूअस खनिकों को लगाया जा रहा हैं। सीआईल ने जन–दिस,19 में अपने कोयला उत्पादन का लगभग 45% उत्पादन सतही खनिकों के माध्यम से किया है। पर्यावरणीय उपशमन उपायों को और अधिक पारदर्शी बनाने के लिए सीआईएल की सहायक कंपनियां सभी ओपनकास्ट परियोजनाओं के लिए भूमि के पुनरुद्धार और पुनर्स्थापन की निगरानी के लिए अत्याधुनिक सेटेलाइट निगरानी का उपयोग कर रही है।

'स्वच्छ एवं हरित' कार्यक्रम के एक भाग के रूप में सीआईएल द्वारा जहां कहीं भी जमीन उपलब्ध है, बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण किया जा रहा है। दिसम्बर, 2019 तक सीआईएल की सहायक कंपनियों द्वारा खनन लीज होल्ड क्षेत्रों में 19,76,618 पौधे लगाए गए। सीआईएल ने अपनी शुरुआत से लेकर वर्ष 2019–20 तक योजनाबद्ध पर्यावरण प्रबंधन आयोजनाओं और निरंतर विकास कार्यकलापों के माध्यम से लगभग 39,842 हेक्टेयर क्षेत्र में खान लीज क्षेत्र के भीतर 99.6 मिलियन वृक्ष लगाये हैं। खनन गतिविधियों के कारण धूल की उत्पत्ति को नियंत्रित करने के लिए सीएमपीडीआईएल द्वारा विंड ब्रेक और वर्टिकल ग्रीनरी प्रणाली की अवधारणा विकसित की गई है और यह गेवरा ओसीपी में कार्यान्वयन के तहत है। खनन क्षेत्रों में खनन गतिविधियों के कारण उत्पन्न होने वाली धूल को दबाने के लिए मिस्ट स्प्रेयर, फॉग कैनन, फिक्स्ड और मोबाइल स्प्रिंकलर परिचालन में हैं।

एनएलसी इंडिया लिमिटेड (एनएलसीआईएल)

एनएलसी इंडिया लिमिटेड (एनएलसीआईएल) 14 नवम्बर, 1956 को एक कंपनी के रूप में पंजीकृत हुई और तत्कालीन प्रधानमंत्री द्वारा 20 मई, 1957 को खान–I में खनन प्रचालनों का औपचारिक उद्घाटन किया गया था। एनएलसी इंडिया लिमिटेड (एनएलसीआईएल) को अप्रैल 2011 से **''नवरत्न''** का दर्जा दिया गया है।

एनएलसी इंडिया लि. की वर्तमान खनन क्षमता 30.6 एमटीपीए है तथा मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार विद्युत उत्पादन क्षमता 5543.56 मे.वा. है। एनएलसी इंडिया लि. की सभी खानों एवं विद्युत स्टेशनों को गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली, पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली एवं व्यावसायिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली के लिए **आईएसओ प्रमाणीकरण** प्राप्त है।

प्राधिकृत पूंजी

एनएलसी इंडिया लिए की प्राधिकृत पूंजी 2000 करोड़ रुपए है तथा प्रदत पूंजी 1386.64 करोड़ रु.(बाई बैक–2018 के बाद) है। 30.11.2019 की स्थिति के अनुसार भारत सरकार द्वारा किया गया निवेश निम्नानुसार है:

निवेश	(करोड़ रु. में)
इक्विटी – भारत सरकार का हिस्सा:	1119.07 (नवम्बर, 2019 की स्थिति के अनुसार)
भारत सरकार से ऋण (उपार्जित ब्याज सहित)	शून्य

उत्पादन कार्य–निष्पादन:

वर्ष 2019–20 के दौरान ओवरबर्डन रिमूवल, लिग्नाइट उत्पादन, सकल विद्युत उत्पादन और विद्युत निर्यात के आंकड़े नीचे तालिका में दर्शाए गए हैं:

उत्पाद	यूनिट	ब.अ. 2019–20	2018–19 (जनवरी, 19 से मार्च, 19)	2019–20 (नवम्बर '19 तक)		दिसम्बर 2019 से मार्च 2020 (अनुमान)
			वास्तविक	लक्ष्य	वास्तविक (अनंतिम)	
ओवरबर्डन	एम एम^3	176.40	44.16	115.45	107.08	60.95
लिग्नाइट	एम टी	25.56	8.21	14.86	14.73	10.70
विद्युत सकल	एम यू	23500.00	5586.17	14760.08	13930.75	8739.92
विद्युत निर्यात	एम यू	20296.90	4766.54	12750.94	11902.46	7545.96

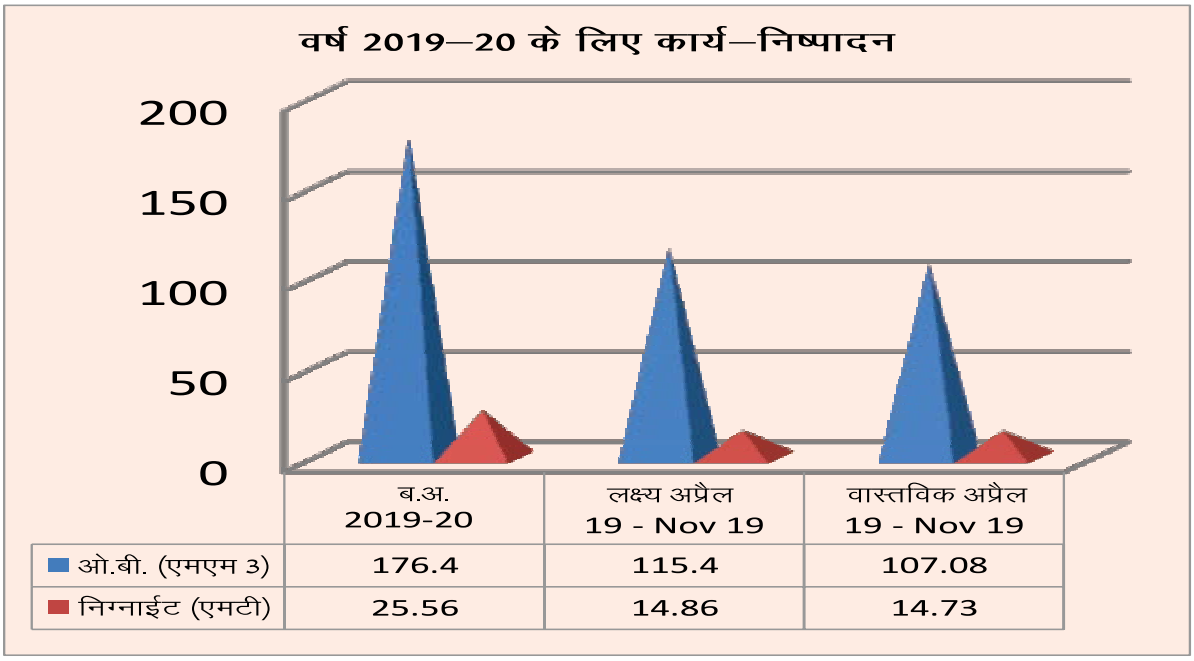

	ब.अ. 2019-20	लक्ष्य अप्रैल 19 - Nov 19	वास्तविक अप्रैल 19 - Nov 19
ओ.बी. (एमएम 3)	176.4	115.4	107.08
निग्नाईट (एमटी)	25.56	14.86	14.73

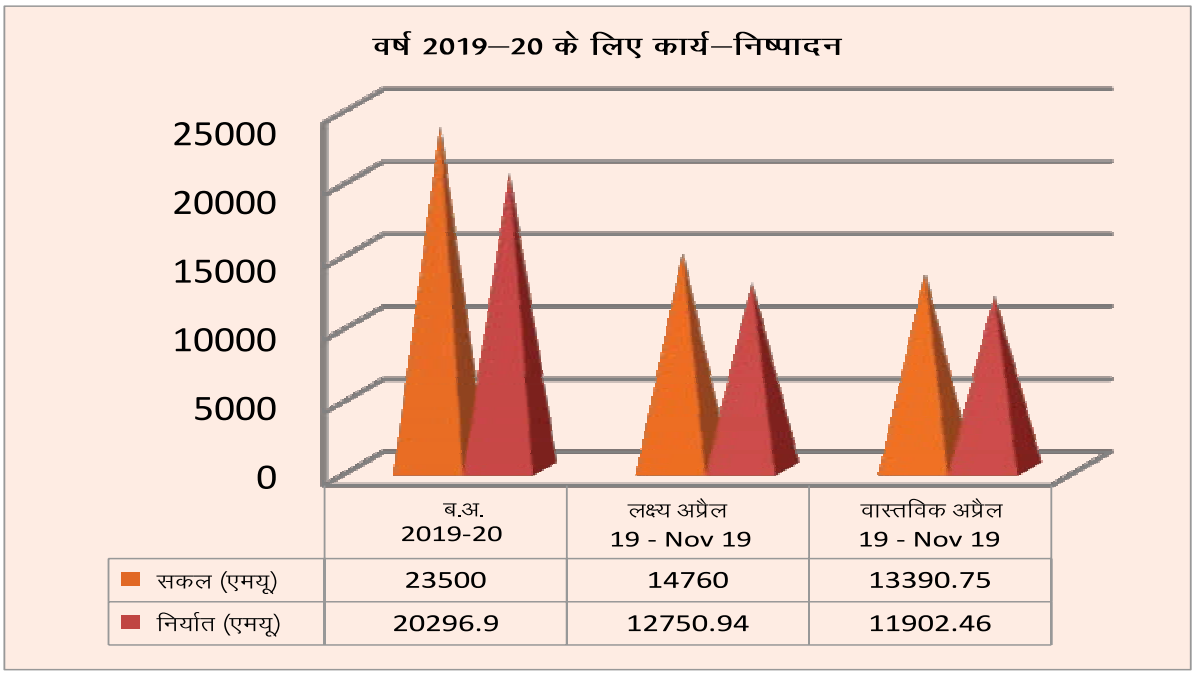

	ब.अ. 2019-20	लक्ष्य अप्रैल 19 - Nov 19	वास्तविक अप्रैल 19 - Nov 19
सकल (एमयू)	23500	14760	13390.75
निर्यात (एमयू)	20296.9	12750.94	11902.46

यदि छोड़ दी गई 1248.731 (अनंतिम) एमयू विद्युत को जोड़ा जाता है, तो अप्रैल, 2019 से नवम्बर, 2019 तक की अवधि के लिए सकल विद्युत उत्पादन 15179.48 एमयू होगा जो कि 102.84% (94.38% के वर्तमान स्तर की तुलना में) की उपलब्धि है।

उत्पादकता:

2018–19 और 2019–20 में उत्पादकता निष्पादन निम्न तालिका में दिया गया है:

..... (ओएमएस)

ओएमएस	यूनिट	2018–19 वास्तविक	जनवरी, 19 से मार्च, 19	2019–20 (नवम्बर,19 तक)	
				लक्ष्य	वास्तविक
खानें	टन	14.11	18.96		13.89
तापीय	कि.वा./ घंटा	26197	26439	26879	27689

संयंत्र लोड फैक्टर (पीएलएफ)

2018–19 तथा 2019–20 के दौरान टीपीएस–I, टीपीएस–I विस्तार, टीपीएस–II, टीपीएस–II विस्तार और बरसिंगसर टीपीएस द्वारा प्राप्त किया गया पीएलएफः–

पीएलएफ	2018–19 वास्तविक	जनवरी, 19 से मार्च 19	2019–20 (नवम्बर,19 तक)	
			लक्ष्य	वास्तविक
टी.पी.एस-I	64.73	69.89	0.00	64.66
टी.पी.एस-I ई	80.17	97.88	76.32	87.50
टीपीएस-II ई	83.44	86.22	78.25	78.65
टीपीएस-II ई	44.09	62.01	66.80	38.37
बरसिंगसर टीपीएस	61.97	69.60	72.54	65.88

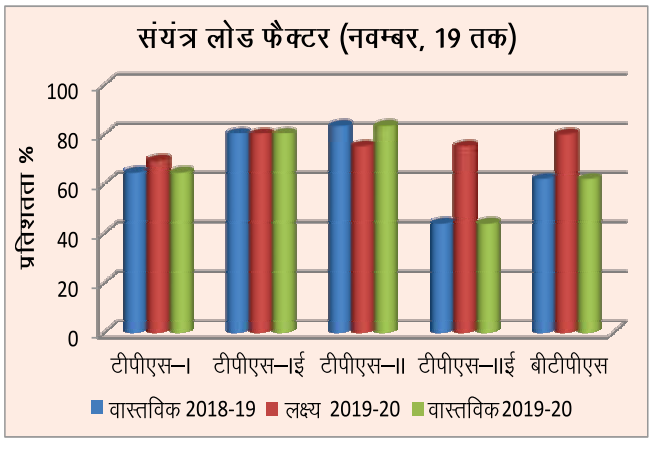

वर्ष 2019–20 के दौरान (अप्रैल, 2019 से नवम्बर, 2019 तक) उत्पाद–वार बिक्री निम्नानुसार है :

उत्पाद	बिक्री 2018–19 (रु. करोड़ में)	बिही 2019–20 (रु. करोड. में) नवम्बर, 2019 तक (अनंतिम)
लिग्नाइट	579.28	293.90
विद्युत	6518.09	4348.12
अन्य	48.55	30.34
योग	7145.92	4672.36

जनशक्तिः

30 नवम्बर, 2019 की स्थिति के अनुसार एनएलसीआईएल की जनशक्ति निम्नानुसार हैः

	तकनीकी	गैर–तकनीकी	अन्य	कुल
कार्यपालक	3122	541	209	3872
पर्यवेक्षक (एनयूएस)	305	27	4	336
गैर–कार्यपालक	2885	899	4828	8612
योग	6312	1467	5041	12820

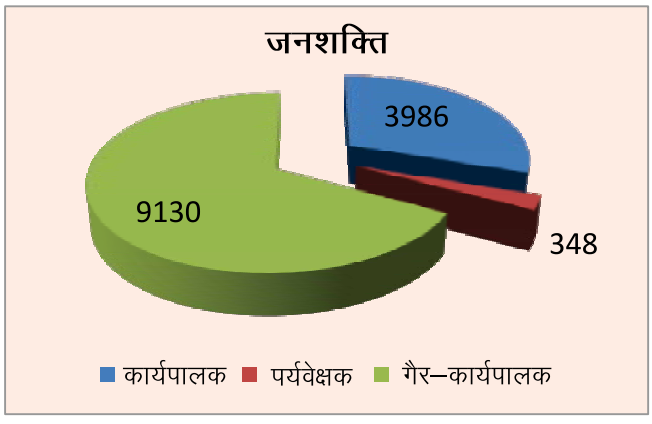

कर्मचारी कल्याण

- निम्नलिखित शीर्ष के अंतर्गत कर्मचारियों को कल्याणकारी उपाय सुलभ कराए गए हैं।
- कर्मचारियों को 100% आवास
- सब्सिडी युक्त कैंटीन सुविधाएं तथा यूनिफॉर्म/फुटवेयर
- स्कूली छात्रों को मेधावी छात्रवृत्ति
- एससी/एसटी छात्रों को विशेष छात्रवृत्ति
- समूह दुर्घटना बीमा स्कीम
- उच्च अर्हता हासिल करने के लिए विशेष प्रोत्साहन
- दीर्घ सेवा अवार्ड
- शादी और अधिवार्षिता उपहार
- कर्मचारियों एवं उनके आश्रितों को निःशुल्क चिकित्सा उपचार
- सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा लाभ स्कीम
- मृत्यु राहत स्कीम

आरएंडआर नीति–एनएलसीआईएल

राष्ट्रीय पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन नीति, 2007 के अनुसार आरएंडआर प्रशासक के निर्देशानुसार आरएंडआर उपायों को लागू किया गया है तथा एनआरआरपी, 2007 में निर्दिष्ट न्यूनतम के अलावा एनएलसीआईएल द्वारा निम्नलिखित लाभ प्रदान किए गए हैं।

एनएलसीआईएल द्वारा निम्नलिखित उपाय किए गए है

- नीति के अनुसार विस्थापित परिवारों को उनसे अधिगृहित घर के क्षेत्रफल के अनुसार वैकल्पिक घर के प्लॉट का आवंटन किया जाएगा तथापि, एनएलसीआईएल पुनर्वास केंद्र में प्रत्येक पात्र परियोजना प्रभावित परिवार को न्यूनतम 120 वर्ग मीटर का प्लॉट आवंटित कर रहा है।
- यद्यपि, सरकारी भूमि पर ड्वेलर्स/अतिक्रमणकारी मुआवजे के लिए पात्र नहीं है, एलसीआईएल द्वारा अनुकंपा के आधार पर लोक निर्माण विभाग द्वारा अनुमोदित प्लिंथ एरिया दर पर आकलित दर के अनुसार अतिक्रमणकारी, जहां वह निवास कर रहा है उसके घर के संरचना की कीमत की 50% समतुल्य राशि का भुगतान किया जाएगा।
- एनएलसीआईएल ने रोजगार दफ्तर के माध्यम से प्रोसेसिंग के बजाय एनएलसीआईएल में आईटीआई प्रशिक्षु प्रशिक्षण के लिए परियोजना प्रभावित व्यक्तियों से आवेदन सीधे प्राप्त करने हेतु विशेष सरकारी आदेश प्राप्त किया है। एनएलसीआईएल के शिक्षण एवं विकास केंद्र (एलएंडडीसी) में परियोजना प्रभावी व्यक्तियों के लिए एनएलसीआईएल उद्यमिता विकास कार्यक्रम भी चला रही है तथा अभ्यर्थियों को उपयुक्त प्रशिक्षण हेतु बाहर के स्कूलों/एजेंसियों में भेजने हेतु प्रायोजित भी करती है।
- एनएलसीआईएल इन–प्लांट प्रशिक्षण भी दे रही है तथा एलएंडडीसी के माध्यम से पीएपी को परियोजना कार्य करने का अवसर भी प्रदान कर रही है।
- एनएलसीआईएल सभी प्रकार के अधिगृहित भूमि के लिए कानूनी रुप के बजाय लोक अदालत के माध्यम से मुआवजे में वृद्धि के मुद्दों का भी तेजी से समाधान कर रही है। वृद्धित मुआवजा दरों पर गांव के प्रतिनिधियों/सार्वजनिक प्रतिनिधियों एवं जिला कलेक्टर की उपस्थिति में एनएलसीआईएल और भूमि स्वामियों के बीच सहमति हुई थी। तालूक विधिक सेवा–समिति द्वारा आयोजित लोक अदालत के माध्यम से हुई सहमति के अनुसार एनएलसीआईल वृद्धित दर पर मुआवजे का भुगतान करती है।

एनएलसीआईएल द्वारा अभी तक दिए गए आरएंडआर लाभ की सूची निम्नलिखित तालिका में दी गई है:–

आरएंडआर उपायों की प्रकृति	मात्रा
सुविकसित, संपर्कयुक्त एवं सुविधाजनक स्थान पर स्थित पुनर्वास केंद्रों में वैकल्पिक आवास स्थल का आवंटन	7390 प्लॉट
पुनर्वास भत्ता का भुगतान	रु. 348.03 लाख
सरकारी भूमि पर संरचना के मूल्य के बदले अनुग्रह राशि का भुगतान	रु. 493.82 लाख
पीएएफ को एनएलसी में दिए गए नियमित रोजगार (1950 के प्रारंभिक स्कीम में पीएएफ को छोड़कर)	रु. 415.44 लाख
गुजारा भत्ता का भुगतान	रु. 3.30 लाख
पशु शेड, पेट्टी शॉप भत्ते का भुगतान	रु. 10,99,38,000
रोजगार के बदले एक बारगी पुनर्वास अनुदान	रु. 1364.38 लाख
पुनर्वास केंद्रों के विकास के लिए प्रभार	रु. 150.00 लाख प्रति वर्ष (लगभग)

पुनर्वास केंद्रों की रखरखाव सुविधाओं एवं साफ–सफाई के लिए आवर्ती व्यय	1827 व्यक्ति
पीएपी को दिया गया आईटीआई प्रशिक्षु प्रशिक्षण	1034 व्यक्ति
प्रशिक्षु प्रशिक्षण (ग्रैजुएट/डिप्लोमा)	213 व्यक्ति
खनन में डिप्लोमा	118 व्यक्ति
संविदा कार्य के अंतर्गत कार्यरत	3500 व्यक्ति
मेडिकल लैब टेक्नीशियन प्रशिक्षण स्कीम के अंतर्गत पीएएफ को दिया गया विशेष प्रशिक्षण	69 व्यक्ति
प्रशिक्षण विशेषज्ञों के सहयोग से पीएएफ सदस्यों को कौशल विकास/उद्यमशीलता/स्व–रोजगार हेतु प्रशिक्षण	1792 व्यक्ति
एलए आधार पर पंजीकृत पीएपी ठेकेदारों की संख्या	128 ठेकेदार

दिनांक 05.10.2009 को हुए त्रिपक्षीय समझौते के अनुसार वर्ष 2006 से 2013 तक अधिगृहित भूमि के लिए निम्नलिखित मुआवजा दरों का भुगतान किया गया है।

05 अक्तूबर, 2009 के त्रिपक्षीय समझौते के अनुसार दर–

वर्गीकरण	समावेशी दर (सोलेटियम, ब्याज आदि)
नम भूमि एवं सिंचित शुष्क भूमि	रु. 6,00,000 प्रति एकड़
मनावरी शुष्क भूमि	रु. 5,00,000 प्रति एकड़
गंगयी कोंडन गांव के लिए आवास स्थल (टाउन पंचायत)	रु. 50,000+15,000 विशेष प्रोत्साहन = रु. 65,000 प्रतिशत
अन्य गांव के लिए आवास स्थल	रु. 25,000 प्रतिशत

अब तक लोक अदालत के माध्यम से 1977 से अधिगृहित भूमि के लिए 18957 वृद्धित मुआवजा के मामले का निपटान किया गया है। एनएलसीआईएल ने निपटान प्रक्रिया के संपूर्ण कम्प्यूटरीकरण के माध्यम से लोक अदालत में अधिकतम निपटान दर हासिल की है। इन उपायों के कारण एनएलसीआईएल को भूमि अधिग्रहण में बहुत कम प्रतिरोध का सामना करना पड़ता है तथा अप्रैल, 2006 से 1427 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया जा चुका है।

नया भूमि अधिग्रहण अधिनियम

दिनांक 01.01.2014 से भारत सरकार ने नया भूमि अधिग्रहण अधिनियम अर्थात् "भूमि अधिग्रहण पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन में उचित मुआवजा एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013" प्रख्यापित किया है तथा एनएलसीआईएल स्कीम के लिए नेयवेली क्षेत्र में 01.01.2014 के पश्चात् अधिगृहित भूमि के लिए मुआवजा एवं आरएंडआर लाभ नए एलए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार दिया जा रहा है।

संविदा कामगार

कंपनी आसपास के गांव से संविदा कामगारों को नियुक्त करती है। विभिन्न पंजीकृत ठेकेदारों, आईएऩडीसीओएसईआरवीई, एचओडब्ल्यूएसआईसीओएस सोसाइटिज एवं आउटसोर्स्ड एजेंसियों के माध्यम से खानों एवं थर्मल परियोजनाओं में लगभग 14580 संविदा कामगारों को नियुक्त किया गया है। कंपनी संविदा कामगारों के वेतन एवं कल्याण से संबंधित सभी प्रकार के विधिक एवं कंपनी मानकों का अनुपालन करती है। खनन कार्यकलापों में शामिल संविदा कामगारों के लिए न्यूनतम मजदूरी सीएलसी (सी) द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार की जाती है तथा विभिन्न समझौतों के द्वारा उपरोक्त संविदा कामगारों को मजदूरी में लाभ

दिए जाते हैं, एनएलसी में किया जा रही मजदूरी भुगतान सीएलसी (सी) द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी से अधिक है। संविदा कामगारों को भी लिग्नाइट खनन क्षेत्र में कार्य करने हेतु अनिवार्य सुरक्षा, व्यवसायिक प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। उपरोक्त के अलावा कंपनी संविदा कामगारों को कंपनी के सुविधा केंद्र में निःशुल्क चिकित्सा उपचार उपलब्ध कराती है। सभी संविदा कामगारों को सुरक्षा प्रशिक्षण दिया जा रहा है तथा व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण अर्थात् हेलमेट, माईनिंग शूज, डस्ट मास्क, सेफ्टी लैंप और रेनकोट के साथ–साथ गमबूट एवं हेवी वॉटरी खानों में समुचित हुड दिए जाते हैं। नियमित कर्मचारियों को दी जाने वाली सुविधाएं जैसे कि कैंटीन, विश्रामस्थल, प्राथमिक उपचार आदि का उपयोग भी संविदा कामगारों द्वारा किया जाता है।

संविदा कामगारों को निम्नलिखित कल्याण सुविधाएं भी दी जाती है अर्थात्

- एनएलसीआईएल स्कूल में संविदा कामगारों के बच्चों को 12वीं कक्षा तक निःशुल्क शिक्षा
- एनएलसीआईएल स्कूलों में 11वीं तथा 12वीं कक्षा में पढ़ने वाले बच्चों को निःशुल्क नाश्ता, दोपहर का भोजन एवं यूनिफॉर्म
- संविदा कामगार बाल मेधावी छात्रवृत्ति स्कीमः शैक्षिक वर्ष 2014–15 से प्रभावी है। छात्रवृत्ति और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए होस्टल फीस एवं जनरल डिग्री के लिए क्रमशः 10,000/– रू. प्रति विद्यार्थी (100 विद्यार्थी) तथा 8000/– रू. प्रति वर्ष (50 विद्यार्थी) प्रति विद्यार्थी दी जा रही है। (150 में से 75 बालिकाओं के लिए निर्धारित है)
- संविदा कामगारों के बच्चों द्वारा जवाहर साइंस कॉलेज, नेयवेली को भुगतान की गई फीस की प्रतिपूर्ति
- एएमसी संविदा कामगारों के लिए स्वयं, पति अथवा पत्नी एवं बच्चों (बाह्यरोगी/अंतर्रोगी) के लिए एन एल– सीजीएच में निःशुल्क चिकित्सा उपचार
- संविदा कामगारों को 1000 क्वार्टर्स एवं 3000 प्लॉट निःशुल्क जल, सब्सिडीयुक्त बिजली एवं मामूली किराए पर दिए गए हैं।

सभी संविदा कामगारों को मजदूरी का भुगतान बैंक के माध्यम से सुनिश्चित किया जाता है। घातक दुर्घटना के मामले में संविदा कामगारों को सांविधिक मुआवजे के अलावा 5 लाख रु. का अनुग्रह भुगतान किया जाता है।

एनएलसीआईएल ने संविदा कामगार (आरएंडए) अधिनियम, 1971 के लिए संविदा कामगारों को मजदूरी के भुगतान तथा अन्य लाभों के अनुपालन की निगरानी हेतु संविदा कामगार प्रबंधन प्रणाली (सीएलएमएस) पोर्टल तैयार किया है। एनएलसीआईएल में विभिन्न ठेकेदारों द्वारा नियुक्त सभी कामगारों का व्यापक डाटाबेस (बैंक खाता संख्या एवं आधार संख्या सहित) इस पोर्टल पर अपलोड किया जाता है। यह पोर्टल सभी संविदा कामगारों के लिए उपलब्ध है ताकि वे मजदूरी दर एवं भुगतान की स्थिति सहित अपने व्यक्तिगत ब्यौरे देख सकें।

बाल श्रम/बलात मजदूरी/ बंधुआ मजदूर

कंपनी के प्रचालनों की मूल श्रृंखला में स्वयं कंपनी द्वारा अथवा इसके स्टेक–धारकों द्वारा किसी भी रूप में बाल श्रम, बलात मजदूरों अथवा बंधुआ मजदूरों को नियुक्त करना वर्जित है। खानों में लगाए जाने वाले संविदा कामगारों की अनिवार्य रूप से आरंभिक चिकित्सा जांच के दौरान इसकी मॉनीटरिंग की जाती है।

संघ की स्वतंत्रता

कंपनी के मानव संसाधन प्रबंधन में प्रजातांत्रिक मूल्यों का पक्के तौर पर पालन किया जाता है। कर्मचारियों को छूट है कि वे पंजीकृत ट्रेड यूनियन और अन्य सरकारी/गैर–सरकारी संगठनों के सदस्य बन सकते हैं। कोलफील्डों में सभी केंद्रीय ट्रेड यूनियनों और स्थानीय यूनियनों की शाखाएं हैं। औद्योगिक संबंध प्रणाली के मानकों के अंतर्गत कंपनी के द्विपक्षीय निकायों में उनके प्रतिनिधित्व की अनुमति है।

सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लि. (एससीसीएल)

सिंगरेनी कोलिरीज कंपनी लि. तेलंगाना सरकार और भारत सरकार का एक संयुक्त उद्यम है जिसमें इक्विटी पूंजी भागीदारी क्रमशः 51:49 है। अखिल भारत कुल उत्पादन में एससीसीएल का योगदान लगभग 9% है।

कोयला उत्पादन : वर्ष–2019–20 के लिए कोयला उप्तादन लक्ष्य 67 मि.ट. है और दिसम्बर, 2019 तक वास्तविक कोयला उत्पादन 46.75 मि.ट. है।

लक्ष्य (जनवरी– दिसम्बर, 2019)	वास्तविक (जनवरी– दिसम्बर, 2019)	% उपलब्धि
65.18	65.58	100.6

कोयला प्रेषण : वर्ष 2019–20 के दौरान कोयला प्रेषण लक्ष्य 68 मि.ट. है और दिसम्बर, 2019 तक वास्तविक प्रेषण 46.35 मि.ट. है।

लक्ष्य (जनवरी– दिसम्बर, 2019)	वास्तविक (जनवरी– दिसम्बर, 2019)	% उपलब्धि
66.90	64.91	97.0

उत्पादकता (ओएमएस) : वर्ष 2019–20 के लिए उत्पादकता लक्ष्य 6.48 टन है और दिसम्बर, 2019 तक उपलब्धि 6.14 टन है।

वर्ष	सिंगरैनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड		
	यूजी	ओसी	समग्र
2019–20 लक्ष्य	1.46	16.50	6.48
2019–20 वास्तविक (दिसम्बर, 2019 तक)	1.45	15.80	6.14

जनशक्ति : 31.12.2019 की स्थिति के अनुसार एससीसीएल में 1298 महिला कर्मचारियों सहित 47,178 कर्मचारी हैं।

एसटीपीपी : वर्तमान में, 2×600 मे.वा. सिंगरैनी थर्मल पावर स्टेशन तेलंगाना के मंचेरियल जिले में प्रचालनरत है। वर्ष 2018–19 में कुल 8698 एमयू और 2019–20 (दिसम्बर, 2019 तक) में कुल 6755 एमयू विद्युत का उत्पादन किया गया।

सौर विद्युत संयंत्र : एससीसीएल ने तेलंगाना में एससीसीएल कमान क्षेत्र में विभिन्न स्थानों पर 300 मे.वा. क्षमता के सौर विद्युत संयंत्र स्थापित करने का प्रस्ताव किया है। 129 मे.वा. क्षमता के विद्युत संयंत्र इरेक्शन की प्रक्रिया में है और मार्च, 2020 तक पूरे हो जाएंगे। द्वितीय चरण में 90 मे.वा. क्षमता के विद्युत संयंत्र इरेक्शन की प्रक्रिया में है और 30.09.2020 तक स्थापित हो जाएंगे और तृतीय चरण में 81 मे.वा. सौर विद्युत संयंत्रों के लिए भूमि की पहचान की गई है।

एससीसीएल में रोजगार के अवसर : एससीसीएल द्वारा बाह्य और आंतरिक संसाधनों के माध्यम से रिक्तियों को भरने हेतु व्यापक अभियान चलाए जा रहे हैं। तेलंगाना का गठन (जून, 14) हो जाने के बाद 13,000 से भी अधिक व्यक्तियों को रोजगार प्रदान किया गया।

पौधारोपण : एक अग्रणी कार्यक्रम "तेलंगाना कु हरिथा हरम" के भाग के रुप में एससीसीएल ने 2019–20 के दौरान 652 हेक्टेयर में 30 लाख पौधे लगाए हैं।

पूर्वोत्तर क्षेत्र कोलफील्ड्स में विकास कार्यकलाप

पूर्वोत्तर क्षेत्र में, कोल इंडिया लिमिटेड के खनन कार्यकलाप मुख्य रुप से असम के माकूम कोल फील्ड्स की 3 खानों में हैं। ये हैः– तीरप, तिकाक तथा तिपोंग। इन में से तीरप और तिकाक कोलियरी ओपनकास्ट खानें/परियोजना हैं जबकि तिपोंग कोलियरीज भूमिगत खान है।

वर्तमान में, 3 (तीन) ओपनकास्ट आउटसोर्सिंग पैचेज से उत्पादन होता है। ये है तिराप (ईस्ट), तिराप (वेस्ट), तिकाक (ओसीएम)। पिछले 4 (चार) वर्षों के लिए कोयला उत्पादन नीचे तालिका–I दर्शाया गया हैः–

तालिका–I **(आकड़े लाख टन में)**

वर्ष	**2015-16**	**2016-17**	**2017-18**	**2018-19**	**2018-19 लक्ष्य एएपी के अनुसार**
एनईसी का कोयला उत्पादन	4.86	6.00	7.81	7.83	7.50

चालू वित्तीय वर्ष के दौरान संपूर्ण कोयला उत्पादन केवल 3(तीन) ओसी पैचेज से हुआ है।

एनईसी का कार्य निष्पादन (01.01.2019 से 31.12.2019 तक)

तालिका–II (वास्तविक आंकड़े)

1	कोयला उत्पादन	यूनिट	मात्रा
	I. भूमिगत	लाख टन	0
	II. ओपनकास्ट	लाख टन	5.46
	योग	लाख टन	5.46
2	**कोयला प्रेषण/उठान**		
	I) प्रेषण	लाख टन	6.05
	II) घरेलू खपत	लाख टन	
	III) उठान	–	6.05
3	31.12.19 की स्थिति के अनुसार पिट–हेड कोयला भंडार	लाख टन	0.73

पिछले 5 वर्षों के लिए एनईसी का कार्य निष्पादन

कोलियरी	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
कोयला उत्पादन (आंकड़े टन में)					
तिपोंग (यूजी)	3096	3043	3033	3000	0
तीरप (ओसी)	457648	178954	197215	468461	529767
तिकाक (ओसी)	316332	212355	330035	286182	252252
लिडो (ओसीपी)	1944	92180	70005	23688	1968
योगः–	**779020**	**486532**	**600288**	**781331**	**783987**
पैमाइश के अनुसार ओबी रिमुवल (आंकड़े क्यूबिक मीटर में)					
तीरप (ओसी)	6147947	3153076	1867719.90	5126499.90	5723607.64
तिकाक (ओसी)	3932380	3253707	3622690.86	2668553.75	2765922.50
लिडो (ओसीपी)	104789	897557	185399.69	58092.80	14729.27
योगः–	**10185116**	**7304340.59**	**5675810.45**	**7853146.45**	**8504259.41**
कोयला प्रेषण (आंकड़े टन में)					
तिपोंग (यूजी)	.	.	.	.	.
तीरप (ओसी)	445738.10	212158.63	265067.22	538687.91	500489.13
तिकाक (ओसी)	257753.55	111814.57	430592.61	335034.72	252542.20
लिडो (ओसीपी)	29410.01	17896.36	81300.33	20894.74	849.71
योगः–	**732901.66**	**341869.56**	**776960.16**	**894617.37**	**753881.04**

ओएमएस (आंकड़े टन में)					
यूजी	0.01	0.02	0.02	0.02	0.00
ओसी	5.10	2.80	3.67	5.21	5.84
समग्र :–	**2.01**	**1.39**	**1.92**	**2.86**	**3.37**
प्रारंभिक स्टॉक (आंकड़े टन में)					
	1.4.15 की स्थिति के अनुसार	1.4.16 की स्थिति के अनुसार	1.4.17 की स्थिति के अनुसार	1.4.18 की स्थिति के अनुसार	1.4.19 की स्थिति के अनुसार
योग :–	**214762.41**	**359405.45**	**182727.29**	**69434.93**	**99523.33**
जनशक्ति (संख्या)					
	1.4.15 की स्थिति के अनुसार	1.4.16 की स्थिति के अनुसार	1.4.17 की स्थिति के अनुसार	1.4.18 की स्थिति के अनुसार	1.4.19 की स्थिति के अनुसार
कार्यपालक	113	107	96	99	105
गैर–कार्यपालक	1914	1770	1610	1436	1290
योग :–	**2027**	**1877**	**1706**	**1535**	**1395**
लाभ/हानि (आंकड़े करोड़ में)	(+) 29.18	(-) 59.72	(-)123.56	(-)121.06	(-) 84.33